परिवादी द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की फौती रिपोर्ट हेतु नियत है।

थाना प्रभारी गोहद की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध जारी जमानती वारंट इस रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त कि अभियुक्त कच्छेराम फौत हो गया है और उक्त रिपोर्ट के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति भी संलग्न है एवं पूर्व में भी उक्ताशय की प्रकरण में बार—बार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त कच्छेराम उर्फ खच्चूराम को फौत हो जाना बताया है।

अतः उक्त समस्त पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं होने से अभियुक्त कच्छेराम को फौत हो जाना मान्य किया जाता है। तद्नुसार उसके विरूद्ध प्रकरण में आपराधिक कार्यवाही को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

